निग/30991/II/15

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर.

प्रकरण क्रमांक /2015 पुनरीक्षण

श्री विनोद भार्गव एड. द्वारा आज दि. 14.8.15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

केमलापति पत्नी श्री हंसलाल साहू, निवासी ग्राम गहिलगढ, पश्चिम, थाना विन्ध्यनगर, तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0 -- आवेदिका

बनाम

एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, द्वारा समूह महाप्रबंधक, रिहन्द सुपर थर्मल पावर स्टेशन, रिहन्द्र नगर, जिला सोनभद्र उ0प्र0 -- अनावेदक

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
14-9-2015

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिंगरौली, जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण क्रमांक 88/अपील/14-15 में पारित आदेश दिनांक 27.08.2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदिका का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है कि :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः-

1. यहकि, आवेदिका के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे क्र.141 रकवा 0.247 हैक्टेयर ग्राम गहिलगढ (पश्चिम), तहसील सिंगरौली में स्थित है। इसमें कुछ भूमि रकवा 0.114 हैक्टेयर अनावेदक को रेल्वे लाइन हेतु अर्जित किया गया था, जिसके कुछ भाग में से रेल्वे लाइन डाली गयी है तथा शेष भूमि आज भी रेल्वे लाइन के पास अनावेदक की खाली पड़ी है, जो अनावेदक की है।
2. यहकि, अनावेदक की खाली पड़ी भूमि से हटकर आवेदिका का मकान बना हुआ है, शेष भूमि आवेदिका की खाली पड़ी हुई है। चूंकि

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0–3099/दो/15 जिला–सिंगरोली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश श्रीमती केमलापति/एन.टी.पी.सी. लिमिटेड	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–10–2015	1– प्रकरण में आवेदक अभि0 श्री आर.डी. शर्मा उपस्थित । अनावेदक अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित । प्रकरण मे उभयपक्ष अधिवक्ताओं को शीघ्र सुनवाई के आवेदन पत्र पर सुना गया । प्रकरण में उभयपक्ष को सुना गया एवं उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में मेरे द्वारा शीघ्र सुनवाई के आवेदन पत्र के संलग्न अभिलेख का भी अवलोकन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश का भी अवलोकन किया गया । न्यायालय राजस्व मण्डल के समक्ष मुख्य विवाद सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 के तहत [redacted] पक्षकार बनाए जाने संबंधी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक–27.8.15 के संबंध में [redacted] है । अभिलेख अवलोकन से यह पाया गया, कि प्रकरण तहसीलदार सिंगरोली के न्यायालय में नक्शा तरमीम का चला जिसमें, एन.टी.पी.सी. को पक्षकार नहीं बनाया गया था, तथा एक पक्षीय नक्शा तरमीम की कार्यवाही की जाकर तहसीलदार द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक–58/अ–3/14–15 में पारित आदेश दिनांक–25.5.15 जारी किया गया । तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध अपील एन.टी.पी.सी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जहां पर अपीलार्थी एनटीपीसी द्वारा एक आवेदन पत्र पक्षकार बनाये जाने के संबंध में प्रस्तुत कर बताया गया कि वह तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं था, पक्षकार बनाए जाने का आवेदन पत्र स्वीकार कर पक्षकार बनाए जाने का निवेदन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा न्यायहित में एनटीपीसी को का पक्षकार बनाए जाने का आवेदन पत्र विचार में लिया जाकर अपील को समयावधि में प्रस्तुत होना मान्य करते हुए अपने आदेश दिनांक–27.8.15 सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 के आवेदन पत्र पर प्रकरण आवेदिका के जबाब हेतु नियत किया गया । जिसके विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रचलित है । अनावेदक अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के आवेदन पत्र पर विचारोंपरांत एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्को पर बिचारोपरांत तथा अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश	1

	दिनांक–27.8.15 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में अभी अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है, आक्षेपित आदेश से मात्र पक्षकार बनाए जाने संबंधी आवेदन पत्र को बिचार में लिया जाकर अनावेदिका का जबाब चाहा गया है, अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आक्षेपित आदेश से किसी भी पक्ष के वर्तमान में किसी भी प्रकार के हित अनुचित रूप से प्रभावित नहीं हो रहे है । इसके अतिरिक्त उभय पक्ष को अपना पक्ष समर्थन करने का भी पर्याप्त अवसर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उपलब्ध है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आक्षेपित आदेश दिनांक–27.8.15 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन आदेश स्थिर रखा जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में विधिवत उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए संहिता में निहित प्रावधानों के प्रकाश में विधि संगत आदेश पारित करें । उभयपक्षों को आदेशित किया जाता है कि वे अपना–अपना पक्ष अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करें । उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण समाप्त किया जाता है । पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दा.रि. हो । सदस्य	